मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन

कमांक F 8-1/2011/नियम/चार   भोपाल दिनांक   21 जून,2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—शासकीय सेवकों को वाह्य सेवाओं में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की वसूली ।

संदर्भः—वित्त विभाग का परिपत्र कमांक 8/2/2004/नियम/चार,दिनांक 8.2.2006

—0—

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 8.2.2006 द्वारा शासकीय सेवकों के वाह्य सेवा नियुक्ति की अवधि हेतु मूलभूत नियम 116 के अंतर्गत पेंशन तथा अवकाश के लिये अंशदान की दरें निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,2009 जो कि दिनांक 1.1.2006 से लागू किये गये है, में वेतनमानों को समूहीकृत कर वेतन बैण्ड की संरचना की गई है। इनमें पदों में विभेद की दृष्टि से एक ही वेतन बैण्ड में पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों कें पदानुरूप ग्रेड—पे निर्धारित की गई है। बैण्ड वेतन की संरचना के फलस्वरूप वाह्य सेवा में नियुक्ति के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान की गणना किस प्रकार की जावे यह विषय शासन के समक्ष विचाराधीन था ।

2/ राज्य शासन ने पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया है कि छठवें वेतनमान लागू होने के दिनांक 1.1.2006 के पश्चात पेंशन अंशदान की गणना शासकीय सेवक के वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन तथा ग्रेड पे के योग) के 20 प्रतिशत की दर से की जावेगी । चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों जिन्हें प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता (Non Practicing Allowences) देय है, के मामले में पेंशन अंशदान की गणना वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद में मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन+ग्रेड पे+अव्यवसायिक भत्ता के योग) के 20% की दर से की जावेगी।

3/ अवकाश वेतन मासिक अंशदान की गणना सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिये वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन+ ग्रेड पे के योग) के 11% की दर से की जावेगी।

4/ दिनांक 1.1.2005 के पश्चात शासकीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से वाह्य सेवा में जाते समय संबंधित नियोक्ता से पेंशन अंशदान की राशि जमा नहीं करायी जावेगी । इन प्रकरणों में मात्र अवकाश वेतन मासिक अंशदान वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन+ग्रेड पे के योग) के 11% की दर से शासन को दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
म0प्र0 शासन,वित्त विभाग

6/16/2011/Javed.doc fd 1

पृष्ठां.कमांक F 8-1/2011/नियम/चार भोपाल दिनांक 21/06/2011

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल
2. प्रमख सचिव,मध्यप्रदेश,विधानसभा,भोपाल
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. प्रमख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय,भोपाल
5. सचिव,लोक सेवा आयोग इन्दोर
6. सचिव,लोक आयुक्त,मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग,मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार,मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/आडिट–1/2 मध्यप्रदेश ग्वालयर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमख सचिव/सचिव/उप सचिव,सा.प्र.विभाग भोपाल
15. आयुक्त,जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिये
17. अवर सचिव सा.प्र.वि.स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य,लेखा प्रशिक्षण शाला,मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–84 मंत्राालय भोपाल
24. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
25. सभी कोषलाय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

(डी.के.सक्सेना)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,वित्त विभाग